पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 ई० (अग्रहायण 29, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

03 दिसम्बर, 2014 ई०

सं० एफ-9(4) (III) आरजी/यूईआरसी/2014/1657 : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 एवं 42 की उप–धारा 6 एवं 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) विनियम, 2004 (प्रधान विनियम) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:–

1. संक्षिप्त नाम एंव प्रारम्भ

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एंव कार्य क्षेत्र) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2014 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रधान विनियम के नियम 2 के उप–विनियम (1) की धारा (एल) में निम्न प्रतिस्थापित होगा :

"अनुज्ञापी" का अर्थ है, वितरण अनुज्ञापी या पारेषण अनुज्ञापी":

3. प्रधान विनियम के नियम (3) के उप–नियम (5) निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगा:

"ऑम्बड्समैन, एक सामर्थ्यवान, पूर्ण सत्यनिष्ठ वृत्ति वाला व्यक्ति होगा जिसके पास अभियंत्रिकी, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि, उपभोक्ता मामले का जानकार या प्रबंध सम्बन्धित कठिनाईयों के साथ कार्य

करने की प्रर्याप्त जानकारी हो तथा किसी सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत युटिलिटी में सामरिक पद, जो कि कार्यकारी निदेशक स्तर से नीचे का ना हो अथवा अवकाश प्राप्त सिविल सर्वेन्ट, जो राज्य सरकार में सचिव स्तर से नीचे का ना हो।

बशर्ते जो व्यक्ति किसी विद्युत युटिलिटी (राज्य में) से सेवानिवृत्त हों वह अपनी सेवानिवृत्ति तिथि से 02 वर्ष तक ऑम्बड्समैन की नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होगा।"

4. **प्रधान विनियम के नियम (3) के उप–नियम (6) निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगा:**

"व्यक्ति (यों) की ऑम्बड्समैन के रूप में अभिहिति या नियुक्ति अधिकतम तीन (03) वर्षो के लिए होगी। बशर्ते आयोग द्वारा ऑम्बड्समैन का कार्यकाल 02 वर्ष हेतु विस्तारित किया जा सकता है।

बशर्ते कि कोई व्यक्ति ऑम्बड्समैन के पद हेतु आयु 68 वर्ष के उपरान्त धारित नहीं होगा।

5. **प्रधान विनियम के नियम 11 के उप–नियम (2) के उपरान्त उप–नियम (3) निम्नानुसार जोड़ा जायेगा:**

"यह विनियम वर्तमान में कार्यरत ऑम्बड्समैन तथा उसके/उसकी नियुक्ति जो की प्रधान विनियम से किये गये हों, पर लागू नहीं होगा।"